राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अ० राधेश्याम / प्रह्लाद 2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/7/20	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय से आदेश जैर अपील इकतरफा में जारी करवा कर अपीलार्थी को पाबन्द करवा दिया गया एवं तत्तपश्चात अपीलार्थी को नोटिस जारी किये बगैर ही आदेश जैर अपील की अवधि आदेश 39 नियम 3 सी पी सी के विपरीत निरन्तर बढाई जा रही है, एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्तपश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा उनके समक्ष धारा 151 सी पी सी बाबत सम्पूर्ण आराजीयात का सीमा निर्धारण प्रस्तुत होने पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चाकसू सीमा निर्धारण के निर्देश प्रदान किये गये। जिस पर तहसीलदार चाकसू द्वारा विवादग्रस्त भूमि के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश होने एवं अप्रार्थीगण खातेदार सीमा निर्धारण सहमत नही होने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गयी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चाकसू पर अनावश्यक दबाव बनाते हुये सीमा निर्धारण किये जाने हेतु पुन: निर्देश प्रदान किये गये जो स्पष्ट रूप से विधिविरुद्द है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होते ही उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शीघ्र सुनवाई के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया किन्तु अपीलार्थी की सुनवाई नही की गयी। अत: विधि से सुस्थापित सिद्धांतो के विपरीत प्रभावी चल रहे आदेश जैर अपील एवं तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी विधिविरुद्द की गयी कार्यवाही की क्रियान्विति स्थगित की जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के साथ प्रस्तुत आदेश जैर अपील दिनांक 04/06/2019 एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1689 दिनांक 25/06/2020 एवं पत्र क्रमांक 1822 दिनांक 03/07/2020 एवं तहसीलदार चाकसू का पत्र क्रमांक भू.अ./2020/2491 दिनांक 02/07/2020 के अवलोकन से अपीलार्थी	

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म		तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की कथनो की प्रथमदृष्टया पुष्टि होती है की सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिनांक 04/06/2019 के प्रभावी रहते हुये एवं अपीलार्थीगण/अपीलांट के असहमत होते हुये भी विवादग्रस्त भूमि की सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई तक विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है एवं चुकी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर मोजूद होने से प्रकरण इस स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर 60 दिवस की अवधि में गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे। तब तक न्यायहित में उभयपक्ष विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस स्टेज पर अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को निर्देश प्रदान किये जाते है की वे इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 04/08/2020 उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)